dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक–५/748 /12-1 दिनांक , चकराता 21 जून 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषय :– जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरिपुर में मुख्य मार्ग से जू0हा0स्कूल की ओर संड़क निर्माण हेतु वन भूमि पर का गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–288 दि0 29.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र से लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–746/6सी दि0 10.05.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है एवं प्रस्ताव ऑनलाईन दि0 08.06.2022 को उपलब्ध कराई गई। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	शासन द्वारा स्वीकृत 0.625 कि0मी0 लम्बाई में 0.39 किमी0 पूर्व में ही निर्मित है तथा शेष 0.435 किमी0 लम्बाई में वन विभाग की भूमि में 3.60 मी0 चौडाई में ट्रैक बना हुआ है। स्पष्ट किया जाये कि क्या उक्त पूर्व निर्मित मार्ग हेतु क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के साथ अनुमति प्राप्त की गई है। यदि प्राप्त की गई है तो स्वीकृति के आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्ताव मे संलग्न किया जाये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग के प्रारम्भ 0.39 किमी0 लम्बाई खसरा सं0–201 के अन्तर्गत आता है, उक्त भाग वनभूमि के अन्तर्गत नही है।
2	प्रस्ताव में भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न नही किया गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3	प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न नही की गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
4	प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 के बिन्दु संख्या 7 VI में हरियाली का घनत्व अंकित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर कटिंग की गई है जिसे हस्ताक्षरित नही किया गया है।	भाग–2 के बिन्दु संख्या 7 VI में हरियाली का घनत्व अंकित कर दिया गया है तथा भाग–2 की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

संलग्नक :– (1) उपरोक्तानुसार
(2) प्रस्ताव की 02 रंगीन प्रतियाँ

भवदीया
(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

Dlman.

Received 25.06.2022

NEW 3668